

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :- मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र :- 60/2025

GCMS NO- 2025/124

उनवान - भाता राम पुत्र जवारा राम जाति गुर्जर निवासी ढाणी झुतरीवाला वार्ड नं. 03
कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी

अधिवक्ता प्रार्थी - श्री रहीमुद्दीन कुरैशी

आदेश

निर्णय दिनांक 14.10.2025

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, बैंक पास बुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, ग्राम पंचायत कालोटा का प्रमाण पत्र पासपोर्ट की प्रति जन आधार कार्ड, तथा तहसीलदार खेतड़ी के क्रमांक भूअ./25/2107 दिनांक 14.08.2025 के द्वारा स्पष्ट अभिशंषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कोल्याली पटवार मण्डल कालोटा की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 52 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते ह। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल दरामद हो।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	कोल्याली	खाता संख्या 52 के खसरा नम्बर 507, 508, 510 किता 3 कुल रकबा 2.84 है.	भातिया पुत्र जवारा	भाता राम उर्फ भातिया पुत्र जवारा राम

(मुकेश चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

दिनांक :- 14.10.2025

क्रमांक :- राजस्व/2015/312

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार खेतड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी भाता राम पुत्र जवारा राम जाति गुर्जर निवासी ढाणी झुतरीवाला वार्ड नं. 03 कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खेतड़ी

